प्रेस नोट

दिनांक 16.09.2025

04 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के थाना कोतवाली नगर, मौदहा, राठ व थाना मझगवां से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त- रोहित शर्मा पुत्र ओम प्रकाश निवासी मुहल्ला पोस्टमार्टम हाउस के पास जेल तालाब थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.08.2025 से 06 माह।
2. अभियुक्त- खुर्शीद खां पुत्र रशीद खां निवासी ग्राम परछा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.08.2025 से 06 माह।
3. अभियुक्त- अंशु बाबा उर्फ यशेन्द्र पुत्र समय राजपूत निवासी ग्राम धमना थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.08.2025 से 06 माह।
4. अभियुक्त- मुकेश कोरी पुत्र ज्वाला प्रसाद उर्फ झुल्ली कोरी निवासी ग्राम कुल्हौण्डा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 28.08.2025 से 06 माह।